तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 54/2024 बउनवान मीरखान वगैरह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

आदेश

दिनांक 20.03.2025

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री मोहनसिंह सोढा।
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपील के संक्षिप्त तथ्य को दौहराते हुए वकील अपीलांटस ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली वाद का अवलोकन तक नहीं किया सिर्फ कार्यालय रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करने की भूल की और राजस्व वाद दर्ज न कर कानूनी भूल की हैं। धारा 61 का आदेश जिला कलक्टर का न होकर तहसीलदार का हैं। ऐसी दशा में राजस्व वाद धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को सुनने का पूर्ण अधिकार हैं। अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ लौटाया जावे कि अपीलांटस/वादीगण का वाद दर्ज किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस द्वारा पेश वाद दर्ज करने योग्य नहीं हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 61 के तहत आराजी को खालसा किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत पारित किया गया। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण को दर्ज की स्टेज पर निस्तारण करते हुए आदेश पारित किया कि अपीलाधीन आराजी को श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा राजस्थान काश्तकारी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिनियम, 1955 की धारा 61 के प्रावधान के अनुसार खालसा की गई। तत्कालीन आदेश की अपील सक्षम न्यायालय में की जावे। उक्त आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित गई हैं। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश मूल वाद की रिपोर्ट आदेशिका में जिला कलक्टर, बाड़मेर के किसी आदेश के क्रमांक या दिनांक का उल्लेख नहीं हैं न ही अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली में जिला कलक्टर, बाड़मेर का कोई आदेश संलग्न हैं जिससे आलोच्य भूमि को खालसा घोषित किया गया हैं। अपील के माध्यम से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत हैं। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील को स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आलोच्य आदेश दिनांक 24.07.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद दर्ज किया जाकर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलास दिनांक 20.03.2025 को सुनाया गया।

20/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर